



यूनिऑन बैंक ऑफ इंडिया
आजित वसुंधी शाखा, डी-28/28, कर्नाट पोल, नई दिल्ली-110001, (शुक्रवार) : ९प-35, प्रथम तल, अपार्टर सर्फैस कर्नाट पोल, नई दिल्ली-110001)
ईमेल ubin0554723@unionbankofindia.bank.in

नियम 8(1) कच्चा सूचना (अवल संपत्ति हेतु)
जबकि, अयोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का एक्ट 54) के प्रवर्तन के अधीन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरित वसुंधी शाखा, ९प-35, प्रथम तल, कर्नाट पोल, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के नियम 3 के साथ पंजित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **कर्जदार श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री अजय कुमार शर्मा को एक** मांग सूचना दिनांकित **17.01.2025** को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **₹ 63,06,034.13 (रु. छिऱसठ लाख छह हजार चौरास हजार पचास पैसे मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सविधानिक ब्याज दर और बैंक शुल्क के साथ **31.12.2024 तक** का भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता और गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिए एतद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने सम्पत्ति का **कच्चा** सूचना हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पजित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कच्चा दिनांक **1०-11-2025** को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर तथा जससाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरित वसुंधी शाखा, ९प-35, प्रथम तल, अपार्टर सर्फैस, कर्नाट पोल, नई दिल्ली – 110001 के प्रमार वास्ते राशि **₹ 63,06,034.13 (रु. छिऱसठ लाख छह हजार चौरास हजार पचास पैसे मात्र)** उस पर देय ब्याज एवं बैंक प्रमार, उधारकर्ता द्वारा जमा की गई राशि घटाने के उपरान्त।

उधारकर्ता का ध्यान एत की धारा 13 की उप धारा (४), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की और आकर्षित किया जाता है।

अद्यत संपत्ति का विवरण
प्लॉट संख्या 136E, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी-7, यमुना विहार, शाहपुरा नई दिल्ली-110063 में आवासीय प्लॉट, छत्र के अधीन राखे जाने के साथ, कुल क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर, श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री अजय शर्मा के स्वामित्व में।
चौहद्दी: उत्तर में – चार्ल्स रोड, दक्षिण में – सरक, पूर्व में – प्लॉट संख्या 137, पश्चिम में – सड़क।

दिनांक: 1८.11.2025, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
आजित वसुंधी शाखा, डी-28/28, कर्नाट पोल, नई दिल्ली-110001, (शुक्रवार) : ९प-35, प्रथम तल, अपार्टर सर्फैस कर्नाट पोल, नई दिल्ली-110001)
ईमेल ubin0554723@unionbankofindia.bank.in

नियम 8(1) कच्चा सूचना (अवल संपत्ति हेतु)
जबकि, अयोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का एक्ट 54) के प्रवर्तन के अधीन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरित वसुंधी शाखा, ९प-35, प्रथम तल, कर्नाट पोल, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के नियम 3 के साथ पंजित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **कर्जदार श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री अजय कुमार शर्मा को एक** मांग सूचना दिनांकित **17.01.2025** को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **₹ 63,06,034.13 (रु. छिऱसठ लाख छह हजार चौरास हजार पचास पैसे मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सविधानिक ब्याज दर और बैंक शुल्क के साथ **31.12.2024 तक** का भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता और गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिए एतद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने सम्पत्ति का **कच्चा** सूचना हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पजित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कच्चा दिनांक **1०-11-2025** को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर तथा जससाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरित वसुंधी शाखा, ९प-35, प्रथम तल, अपार्टर सर्फैस, कर्नाट पोल, नई दिल्ली – 110001 के प्रमार वास्ते राशि **₹ 63,06,034.13 (रु. छिऱसठ लाख छह हजार चौरास हजार पचास पैसे मात्र)** उस पर देय ब्याज एवं बैंक प्रमार, उधारकर्ता द्वारा जमा की गई राशि घटाने के उपरान्त।

उधारकर्ता का ध्यान एत की धारा 13 की उप धारा (४), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की और आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता का ध्यान एत की धारा 13 की उप धारा (४), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की और आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता का ध्यान एत की धारा 13 की उप धारा (४), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की और आकर्षित किया जाता है।

मुद्रिया का प्रकार	एम्पवीस की तिथि	यूआरएफडी लम्बु अवधि	रैंड व्याज (साधारण)	बैंक द्वारा उम्मत राशि/उधार	कुल बकाया राशि
रखीप्रीओडी	01-01-2023 तक वसुंधी शाखा	01-01-2023 से 31-10-2025 तक	—	—	₹ 12,86,844.66 /—
रखीप्रीओडी	01-01-2023 तक वसुंधी शाखा	01-01-2023 से 31-10-2025 तक	—	—	₹ 12,86,844.66 /—

बैंक को देय घनराशि या अधिकतम देय घनराशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए श्रीमती हरप्यारी देवी ने 07-03-2018 को दस्तावेज निष्पादित किए थे और निम्नलिखित द्वारा प्रतिभूति हित सुचित किया था :
यह नीचे वर्णित अवल सम्पत्ति का न्यायिक बंधक
व्यावसायिक क्षेत्र क्षेत्रफल 77.33 वर्ग मीटर भूमा हूतैनपुर बोपारा, शिवालिक पेट्रोल पंप के सामने, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के पास, तहसील खालीती, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251203 में स्थित है। सीमाएं इस प्रकार हैं :- पूर्व – कलीराम का प्लॉट, पश्चिम – तारा जी.टी. रोड, उत्तर – सजीव मेडिकल स्टोर, दक्षिण – विजय पाल का प्लॉट अतएव, एतद्वारा आपसे वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के निबंधनों में र. 12,86,844.66 /— + बैंक प्रमार के साथ-साथ आपका द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों की शर्तों और नियमों के अनुसार सविधानिक दर पर आगे ब्याज और प्रमार का भुगतान करने और इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने की मांग की जाती है, ऐसा नहीं करने पर, हम उक्त अधिनियम के तहत दिए गए किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करके उपरोक्त प्रतिभूतियों का प्रवर्तन करने के लिए बाध्य होंगे।
उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप यह सूचना प्राप्त होने पर बैंक की सहमति के बिना, उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटान अथवा संव्यवहार नहीं कर सकते हैं।
आप का ध्यान, प्रत्याभूत आसितियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (४) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
आपकी जानकारी के लिए, इस अकाउंट में सरफासिया के तहत जारी किए गए सभी पहले के नोटिफिसेशन ले लिए गए हैं और यह नया नोटिफिस जारी किया जा रहा है।

भवदीय
प्राधिकृत अधिकारी

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रतिभूति हित (पवर्न) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पजित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना जारी की है।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों का विवरण (नं. 1) में अनुसूचित प्रारंभ पर "जैसी है वही" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जाएगा। एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम वेंसाइट : <https://www.bankauctions.com> में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

क्र.सं.	प्रस्ताव सं. प्राधिकार का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	अधिकृत अधिकारी की प्रकृति (सी)	आवृत्ति मूल्य (डी)	व्याज (एवपी की 10%) (एफ)	बकाय जमा की तिथि (जी)	द्वितीयक बोली (एच)	संपत्ति विवरण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (आई)	ब्याज परिसंपत्ति/प्राधान्य/वित्तिकरण, वित्तिकरण, वित्तिकरण (के)
1.	HL006301000000005 46194 सुनील शर्मा (आवृत्ति) बकाया राशि (रु.)	नोटिफ की तारीख 0९-07-2025 कुल बकाया: ₹ 820233/- (रुपये नौ लाख बीस हजार दो सौ तीसस मात्र) 09-07-2025 तक देय होगा, साथ में ब्याज की 14.6 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ /15.85 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ, जब तक कि वसुंधी न जाय।	नीतिक	₹ 700000/- (रु. सात लाख मात्र)	₹ 70000/- (रु. सात हजार मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	17-12-2025 (11बजे - 4बजे)	23-12-2025 (11बजे- 2बजे)	रुपये 1,30,61,117.35/- (एक करोड़ तीस लाख इकसठ हजार एक सौ सत्रह और पचीस पैसे मात्र) 28 /08 /2025 तक, साथ ही उस पर ब्याज और बैंक द्वारा गए शुल्क।
2.	HL006221000000005 011213 सविंद सिंह (आवृत्ति) मीना कुमारी (रु.)	सूचना तिथि: 09-07-2025 कुल बकाया: ₹ 663367/- (रुपये छह लाख छियास हजार तीन सौ सत्रहस मात्र) 09-07-2025 तक देय होगा, साथ में ब्याज की 15.8 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ जब तक कि वसुंधी न हो जाए।	नीतिक	₹ 543375/- (रुपये छह लाख तीसहस हजार बीस सौ सत्रहस मात्र)	₹ 54337/- (रुपये छह हजार बीस सौ सत्रहस मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	17-12-2025 (11बजे - 4बजे)	23-12-2025 (11बजे- 2बजे)	रुपये
3.	HL006091000000005 051294 उषा वसुंधी शर्मा (आवृत्ति) बकाया राशि (रु.)	नोटिफ की तारीख 09-07-2025 कुल बकाया: ₹ 821453/- (रुपये आठ लाख इकसठ हजार बीस सौ सत्रहस मात्र) 09-07-2025 तक देय होगा, साथ में ब्याज की 15.8 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ जब तक कि वसुंधी न हो जाए।	नीतिक	₹ 591150/- (रुपये छह लाख इकसठस हजार एक सौ पचास मात्र)	₹ 59115/- (रुपये छह हजार बीस सौ सत्रहस मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	17-12-2025 (11बजे - 4बजे)	23-12-2025 (11बजे- 2बजे)	रुपये
4.	HL006301000000005 054560 नीलम नारायण (आवृत्ति) रमण देवी (रु.)	नोटिफ की तारीख 09-07-2025 कुल बकाया: ₹ 1958573/- (रुपये नौ लाख अठ्ठास हजार बीस सौ सत्रहस मात्र) 09-07-2025 तक देय होगा, साथ में ब्याज की 14.6 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ जब तक कि वसुंधी न हो जाए।	नीतिक	₹ 1253000/- (रुपये बारह लाख तीसहस हजार बीस सौ सत्रहस मात्र)	₹ 125300/- (रुपये एक लाख बीसहस हजार बीस सौ मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	17-12-2025 (11बजे - 4बजे)	23-12-2025 (11बजे- 2बजे)	रुपये
5.	HL006301000000005 039679 मोहम्मद सुबुल (आवृत्ति) शशिधा बानो (रु.)	नोटिफ की तारीख 09-07-2025 कुल बकाया: ₹ 1260828/- (रुपये बारह लाख बीस हजार दो सौ अठ्ठासी मात्र) 09-07-2025 तक देय होगा, साथ ही 14.85 प्रतिशत सालाना ब्याज की वसुंधी तक मिलेगा।	नीतिक	₹ 1055000/- (रुपये दस लाख बीस हजार मात्र)	₹ 105500/- (रुपये दस लाख बीस हजार मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	17-12-2025 (11बजे - 4बजे)	23-12-2025 (11बजे- 2बजे)	रुपये
6.	HL006301000000005 110452 अमिताभ खन्ना (आवृत्ति) लली खन्ना (रु.)	नोटिफ की तारीख 09-07-2025 कुल बकाया: ₹ 3162828/- (रुपये बारह लाख इकसठ हजार दो सौ सत्रहस मात्र) 09-07-2025 तक देय होगा, साथ में ब्याज की 15.8 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ जब तक कि वसुंधी न हो जाए।	नीतिक	₹ 2205000/- (रुपये बारह लाख बीस हजार मात्र)	₹ 220500/- (रुपये दस लाख बीस हजार मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	17-12-2025 (11बजे - 4बजे)	23-12-2025 (11बजे- 2बजे)	रुपये
7.	HL006091000000005 051255 मोहम्मद शहिद (आवृत्ति) महमूद बी (रु.)	नोटिफ की तारीख 09-07-2025 कुल बकाया: ₹ 946650/- (रुपये नौ लाख छियास हजार बीस सौ सत्रहस मात्र) 09-07-2025 तक देय होगा, साथ में ब्याज की 15.8 प्रतिशत सालाना ब्याज की वसुंधी न हो जाए।	नीतिक	₹ 708750/- (रुपये सात लाख बीस सौ सत्रहस मात्र)	₹ 70875/- (रुपये सात हजार बीस सौ सत्रहस मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	17-12-2025 (11बजे - 4बजे)	23-12-2025 (11बजे- 2बजे)	रुपये
8.	HL006301000000005 100622 मुना शर्मा (आवृत्ति) उषा वसुंधी (रु.)	नोटिफ की तारीख 09-07-2025 कुल बकाया: ₹ 708597/- (रुपये सात लाख बीस हजार मात्र) 09-07-2025 तक देय होगा, साथ में ब्याज की 15.8 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ जब तक कि वसुंधी न हो जाए।	नीतिक	₹ 962875/- (रुपये नौ लाख बीस हजार मात्र)	₹ 96287/- (रुपये छह सौ सत्रहस मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	17-12-2025 (11बजे - 4बजे)	23-12-2025 (11बजे- 2बजे)	रुपये
9.	HL006441000000005 020460 विमल कुमार (आवृत्ति) मुना शर्मा (रु.)	नोटिफ की तारीख 10-05-2025 कुल बकाया: ₹ 877822/- (रुपये आठ लाख सत्रहस हजार दो सौ सत्रहस मात्र) 10-05-2025 तक देय, ब्याज सहित 15.1 प्रतिशत प्रति एवं की दर से वसुंधी तक।	नीतिक	₹ 344400/- (रुपये तीन लाख बीसहस हजार बीस सौ मात्र)	₹ 34440/- (रुपये बीस हजार बीस सौ मात्र)	29-11-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	25-11-2025 (11बजे - 4बजे)	06-12-2025 (11बजे- 2बजे)	रुपये

इस्युक्त बोलीदाताओं/उधारकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे बोलीदाता जमा करने से पहले प्रभुता ऋणकर्ता की शर्तों और अर्जीपत्रों की जांच करें, और अपनी स्वयं की प्रमाणित करें और अधिनियम बुद्धि, ऋणकर्ता और किसी तीसरे पक्ष के हितों का ध्यान लागू और उक्त से संबंधित सभी पदार्थों को संबंध में खुद को सलाह दें। सभी कानूनी कानून जैसे संपत्ति कर, विवाद / पानी का बकाया और कोई अन्य कानून, यदि कोई हो, जो संपत्ति से जुड़ा हो, को सलाह मोहतासिल द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उक्तानुसार ध्यान दिया जाना चाहिए।

वाणिज्यी, ए. ईमेल आईडी- dhara013@india.com, सर्वर नं. 994818222 के पंजीकृत कर ले तथा अधिनियम में लॉगिन आईडी को पारदर्शक प्रचार कर ले, जो कि ई-नीलामी हेतु अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें कि प्रसारित बोलीदातागण केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक / सॉफ्टवेयर का "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड", बैंक-आइडीआईडीसी लिमिटेड, बैंक-आइडीआईडीसी लिमिटेड, 20, पंचसती रोड मार्ग, 43/44 रिमान नगर - 411004 के पास से पंजीकृत/अनुमोदित/उत्कृष्ट/उत्कृष्ट के तहत नए के बिना की प्रभुतागण या अनुमति हित पर अधिकृत व्यक्ति जमा राशि (इसकी) की सति बकाया सं. 094550000028, आईडीआईडीसी कोड ICIC00000915 में रजि. (सी) में अधिनियम के अन्तर्गत उक्तानुसार / बोलीदाता से अधिनियम के निम्नलिखित अनुसूचित उद्देश्यों की प्रतीति प्राप्त करें ई-मेल कर तथा इन्हीं स्वयं-निष्पादित वास्तविक प्रतीति निम्न पता : पता- पल्ली पाली, लाल बज्जिन पार्क, 1, नवन किनारे रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 228001 | मोबाइल नं. +91 9597626050, ई-मेल आईडी rahul.r@grubhousing.com पर प्रेषित करें। नियम 8(1) के अंतर्गत उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता (बी) / गारंटर (टी) हेतु 15 / 30 दिवसीय सूचना के रूप में भी नीलामी जारी।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर हो, तो फाइनल संस्करण में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

दिनांक : 22-11-2025, स्थान : उत्तर प्रदेश
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



motherson
सोसायटि- L35106MH11986PLC284510

संवर्धन मद्रसन इंटरनेशनल लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट – 705, सी विंग, वन ब्लॉक, बी डा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई-400051, महाराष्ट्र, भारत
फोन: +91 22- 61354800; फैक्स: +91 22- 61354801
11वां प्लोडर, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 127, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, भारत
फोन: +91 120 6679500, फैक्स: +91 120 2521886
ईमेल : investorrelations@motherson.com; **वेबसाइट :** www.motherson.com
इन्वेस्टर रिलेशंस फोन नंबर: +91 120 6679500

सदस्यों के लिए पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग का नोटिस		
<p>मैमर्स को यह बताया जाता है कि कंपनीज एक्ट, 2013, ("एक्ट") के सेक्शन 108.110 के साथ कंपनीज (मैमर्स) और एडमिनिस्ट्रेशन) रुल, 2014, ("रूल") के रूल 20 और रूल 22, जिन्हें समन-साथ पर बढ़ाया गया है, के अनुसार, सर्वान मद्रसन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी") 13 नवंबर, 2025 के पोस्टल बैलेट नोटिस ("नोटिस") में बताए गए प्रस्ताव को रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए पास करने मैमर्स से मंजूरी माना रही है।</p> <p>अधिनियम की धारा 110 के अनुसार, नियमों के नियम 22 और सामान्य परिषद संख्या 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिषद संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिषद संख्या 22 / 2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिषद संख्या 33 / 2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिषद संख्या 39 / 2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिषद संख्या 10 / 2021 दिनांक 23 जून, 2021, सामान्य परिषद संख्या 20 / 2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, सामान्य परिषद संख्या 3 / 2022 दिनांक 5 मई, 2022, सामान्य परिषद संख्या 09 / 2023 दिनांक सितंबर 25, 2023, 19 सितंबर, 2024 के जनरल सभुलर नंबर 09 / 2024 और 22 सितंबर, 2025 के जनरल सभुलर नंबर 3 / 2025 के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ("MCACirculars") द्वारा जारी, पोस्टल बैलेट नोटिस 20 नवंबर, 2025 को ई-मेल से सिर्फ उन मैमर्स को भेजा गया है, जिन्होंने कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (फिजिकल फॉर्म) में रखे गए शेयरों के संबंध में) या अपने डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल (डीमटेड/डिजिटल/डिजिटल फॉर्म) में रखे गए शेयरों के संबंध में) के साथ अपना ई-मेल एड्रेस रजिस्ट्रार किए हैं और संबंधित डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए हैं। मैमर्स की सहमति या असहमति की जानकारी रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए सिर्फ इन मामलों में दी जाएगी:</p>		
आवृत्त नंबर	रिजोल्यूशन टाइटल (विषय/ऑफिसर)	रिजोल्यूशन का विवरण
1.	संवेधान रिजोल्यूशन	मिस्टर विमल कुमार शाह (DIN: 06737041) को कंपनी के बोर्ड में निदेशांकित डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त करना।
2.	ऑडिटर रिजोल्यूशन	कंपनी के होल-टाइम डायरेक्टर, मिस्टर पंकज मितल (DIN: 00194311) की तैरती में बदलाव करना।

कंपनी ने अपने सभी मैमर्स को ई-वोटिंग की सुविधा देने के लिए मैमर्स KFin Technologies Limited ("KFinTech") की सहायता की है। मैमर्स से रिक्वेस्ट है कि वे ध्यान दें कि वोटिंग शनिवार, 22 नवंबर, 2025 (0900 Hours IST) से शुरू होगी और रविवार, 21 दिसंबर, 2025 (1700 Hours IST) को खत्म होगी। ऊपर बताई गई तारीख और समय के बाद ई-वोटिंग की इजाजत नहीं होगी और ऊपर बताई गई अवधि खत्म होने पर KFinTech ई-वोटिंग मॉड्यूल को पुनः बंद कर देगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैमर्स एसोसिएट्स एसोसिएट्स एलएफपी (एफसीए-2411, सी. पी. नं.-1509) के प्रोविडेंटियल कंपनी सेक्टर/सी सीपी, पुना को पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग प्रोसेस को सही और पारदर्शी तरीके से करने के लिए खुद/निर्देशांकित नियुक्त किया है। एसोसिएट्स सभुलर के अनुसार, शेयरहोल्डर्स को पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालने में आसानी हो, इसके लिए कार्य करने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 13 अप्रैल, 2020 को जारी जनरल सभुलर नंबर 17 / 2020 के अनुसार ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छाजनकी के साथ जरूरी हस्तागत किया गया है, जिन्के नाम डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के अनुसार, शेयरहोल्डर्स को पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालने में आसानी हो, इसके लिए कार्य करने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 13 अप्रैल, 2020 को जारी जनरल सभुलर नंबर 17 / 2020 के अनुसार ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छाजनकी के साथ जरूरी हस्तागत किया गया है, जिन्के नाम डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के अनुसार, शेयरहोल्डर्स को पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालने में आसानी हो, इसके लिए कार्य करने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 13 अप्रैल, 2020 को जारी जनरल सभुलर नंबर 17 / 2020 के अनुसार ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छाजनकी के साथ जरूरी हस्तागत किया गया है, जिन्के नाम डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के अनुसार, शेयरहोल्डर्स को पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालने में आसानी हो, इसके लिए कार्य करने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 13 अप्रैल, 2020 को जारी जनरल सभुलर नंबर 17 / 2020 के अनुसार ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छाजनकी के साथ जरूरी हस्तागत किया गया है, जिन्के नाम डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के अनुसार, शेयरहोल्डर्स को पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालने में आसानी हो, इसके लिए कार्य करने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 13 अप्रैल, 2020 को जारी जनरल सभुलर नंबर 17 / 2020 के अनुसार ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छाजनकी के साथ जरूरी हस्तागत किया गया है, जिन्के नाम डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के अनुसार, शेयरहोल्डर्स को पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालने में आसानी हो, इसके लिए कार्य करने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 13 अप्रैल, 2020 को जारी जनरल सभुलर नंबर 17 / 2020 के अनुसार ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छाजनकी के साथ जरूरी हस्तागत किया गया है, जिन्के नाम डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के अनुसार, शेयरहोल्डर्स को पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालने में आसानी हो, इसके लिए कार्य करने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 13 अप्रैल, 2020 को जारी जनरल सभुलर नंबर 17 / 2020 के अनुसार ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छाजनकी के साथ जरूरी हस्तागत किया गया है, जिन्के नाम डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के अनुसार, शेयरहोल्डर्स को पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालने में आसानी हो, इसके लिए कार्य करने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 13 अप्रैल, 2020 को जारी जनरल सभुलर नंबर 17 / 2020 के अनुसार ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छाजनकी के साथ जरूरी हस्तागत किया गया है, जिन्के नाम डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के अनुसार, शेयरहोल्डर्स को पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालने में आसानी हो, इसके लिए कार्य करने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 13 अप्रैल, 2020 को जारी जनरल सभुलर नंबर 17 / 2020 के अनुसार ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छाजनकी के साथ जरूरी हस्तागत किया गया है, जिन्के नाम डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के अनुसार, शेयरहोल्डर्स को पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालने में आसानी हो, इसके लिए कार्य करने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 13 अप्रैल, 2020 को जारी जनरल सभुलर नंबर 17 / 2020 के अनुसार ई